कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांकः 2090 /FP/UK/ROAD/10743/2015 दिनाँकःदेहरादूनः 3/3 फरवरी, 2022
FP/UK/ROAD/10434/2015

सेवा में,
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद–चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत निजमुला मोटर मार्ग से गोना भनाली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.855 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। मोटर मार्ग

सन्दर्भः–वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–388/X-4-16/1(54)/2016 दिनांक 26–05–2016

महोदय,

कृपया उत्तराखण्ड शासन के उपरोक्त विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे विषयांकित प्रकरण पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 13–06–2016 (प्रति संलग्न) को सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्रांक– **F.No. 11-09/98FC(pt)** दिनांक 18–12–2015 (प्रति संलग्न) के द्वारा जारी Guideline के प्रस्तर संख्या–2 में उत्तराखण्ड राज्य के बाढ़ से प्रभावित जनपदों (उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ एवं रूद्रप्रयाग) में एक वर्ष के लिये वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों की स्वीकृति निर्गत करने हेतु अधिकृत किया गया था। इस सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि वर्तमान में राज्य सरकार को 5.00 है0 तक के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में स्वीकृति निर्गत करने हेतु अधिकृत नहीं किया गया है।

अतः उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विधिवत स्वीकृति राज्य सरकार स्तर से निर्गत की जा सकती है या नहीं इस सम्बन्ध में कृपया उचित दिशा–निर्देश देने की कृपा करें

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या 2090 /FP/UK/ROAD/10743/2015 दिनांकित।
प्रतिलिपि :–सचिव, वन अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।